7.5.19 पत्रावली आज सि.ज. कोर्ट मैनपुरी में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद विषय हकत्याग के कथित इकरारनामा को लेकर है। प्रस्तुत वादपत्र के जरिये वादी ~~[illegible]~~ किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है परन्तु वादपत्र आधारहीन होने के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो

अधिकारी